न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, खगड़िया

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–02/2015

मन्दु राय ..... पुनरीक्षणकर्त्ता

बनाम

रामानन्द राय..... विपक्षी

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश 2.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
20.06.15	पुनरीक्षणकर्त्ता मन्दु राय पे0–स्व0 पशुपति राय, साकिन–खजरैठा, थाना–परबत्ता, जिला–खगड़िया ने रामानन्द राय पे0–स्व0 गणेश प्रसाद राय, साकिन–खजरैठा, थाना–परबत्ता, जिला–खगड़िया को विपक्षी बनाते हुए भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोगरी द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–03/2013–14 में दिनांक 29.11.2014 को पारित आदेश से क्षुब्द्ध होकर यह पुनरीक्षण बाद लाया है। पुनरीक्षणकर्त्ता कहते है कि इनके पिता स्व0 पशुपति राय ने अंचल अधिकारी, परबत्ता को अपने परिवार की मरौसी ज़मीन जो उनके पिता को पारिवारिक बंटवारेनामा में प्राप्त हुआ था, जो मौजा–कोरिया की खाता संख्या 189, 231, खेसरा संख्या–25, 26 सहित अन्य खाता एवं खेसरा की कुल रकवा 08 बीघा 18 कट्ठा 14 धूर की दाखिल खारिज हेतु राजस्व शिविर में आवेदन दिया, जिसके आलोक में अंचल अधिकारी, परबत्ता ने दाखिल खारिज वाद संख्या–15ए/2005–06 प्रारंभ किया। शिविर में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर दिनांक 22.02.2006 को अंचल अधिकारी, परबत्ता ने दाखिल खारिज वाद संख्या–15ए/2005–06 में पुनरीक्षणकर्त्ता के पिता के पक्ष में आदेश पारित कर दिया। फलस्वरूप उनके नाम अंचल सिरिस्ता में जमाबंदी संख्या 129 कायम कर दी गयी, जिसमें खाता संख्या–189, खेसरा संख्या–25 एवं खाता संख्या–231, खेसरा संख्या–26 के मिलजूमले रकवा कुल 03 बीघा 07 कट्ठा 10 धूर दर्ज हुआ, तथा 2014–15 तक मालगुजारी रसीद निर्गत है। पुनरीक्षणकर्त्ता आगे बताते है कि लगभग सात वर्ष के बाद बदनियती से विपक्षी अंचल अधिकारी, परबत्ता के दाखिल खारिज वाद संख्या–15ए/2005–06 में पारित आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोगरी के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–03/2013–14 दायर कर दिया तथा निम्न न्यायालय ने विपक्षी के अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, परबत्ता द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.02.2006 को निरस्त कर दिया। पुनरीक्षणकर्त्ता के पिता पशुपति राय की मृत्यु दिनांक 02.08.2014 को हो गयी है तथा एकमात्र पुत्र होने के कारण तथा वैधिक वारिशन के हैसियत से इस न्यायालय में यह वाद लाया है।	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश 2.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
	पुनरीक्षणकर्त्ता का केवल खाता संख्या–231, खेसरा संख्या–26 की कुल जमीन से सरोकार है। अन्य किसी खाता–खेसरा के जमीन पर इनका दावा नहीं है। पुनरीक्षणकर्त्ता ने भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोगरी के आदेश को न्यायसंगत नहीं बताते है, क्योंकि दखल–कब्जे के बिन्दू पर बगैर स्थल जाँच किये ही विपक्षी के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद के आधार पर अंचल अधिकारी, परबर्त्ता के आदेश को निरस्त कर दिया। बंटवारे के बाद उनके पिता जमीन पर दखलकार थे, इसलिए निम्न न्यायालय का आदेश खारिज योग्य है। बंटवारेनामा दस्तावेज में विपक्षी के हस्ताक्षर रहते हुए भी संदेह के आधार पर फर्जी बताते हुए अंचल अधिकारी, परबत्ता के आदेश को निरस्त कर दिया। उनका यह भी कहना है कि निम्न न्यायालय ने विधि द्वारा प्रतिपादित सिद्धातों की पूर्णतः अनदेखी करते हुए अंचल अधिकारी, परबत्ता द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर दिया जो विधि के प्रतिकूल होने के कारण खारिज योग्य है। विपक्षी ने प्रतिउत्तर दाखिल करते हुए कहा है कि अंचल अधिकारी, परबत्ता ने बगैर स्थलीय जाँच किये एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन किए बिना ही शिविर न्यायालय में नामान्तरण आदेश पारित किया है जिसे अवैध एवं अनियमित पाते हुए भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोगरी ने अंचल अधिकारी, परबत्ता के आदेश को निरस्त कर दिया है। जो बिलकूल ही वैध है। अंचल अधिकारी, परबत्ता के आदेश में अनियमितता रहने के कारण जिसकी जानकारी पुनरीक्षणकर्त्ता को है के कारण ही निम्न न्यायालय मे न तो उपस्थित हुए ना ही आपत्ति–पत्र दाखिल किया। विपक्षी यह भी बताते है कि अचंल अधिकारी, परबत्ता ने स्थलीय जाँच नहीं किया कि वास्तव में दखलकार कौन है? वर्त्तमान में नामान्तरण का प्रतिपादित सिद्धांत है कि कोई भी नामान्तरण की स्वीकृति बंटवारे के मामले में नहीं दी जायेगी जबतक वो निबंधित न हो या सक्षम न्यायालय का आदेश ना हो अथवा सभी जमाबंदी रैयत का बंटवारे में सहमती न हो परन्तु अंचल अधिकारी, परबत्ता की तथाकथित आदेश में यह सारे अवयव(ingredient) का अभाव परिलक्षित होता है, जिसके फलस्वरूप भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोगरी ने इसे निरस्त कर दिया है। राजस्व कर्मचारी या अंचल निरीक्षक ने कभी भी स्थल का भ्रमण नहीं किया तथा घर बैठे प्रतिवेदन तैयार कर अंचल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था, जिसे बगैर जाँचे–परखे अंचल अधिकारी ने स्वीकार कर लिया। स्वीकारात्मक रूप से जमाबंदी संख्या–129 की खेसरा संख्या–25 एवं 26, मौजा–केरिया की 03 बीघा 19 कट्ठा 10 धूर जमीन विपक्षी के नाम कायम है जिससे आवेदक/पुनरीक्षणकर्त्ता को कोई अधिकार नही था कि उसका नामान्तरण उसके पक्ष में हो। विपक्षी का यह भी कहना है कि मूल नामान्तरण वाद जो कुल अराजी 08 बीघा 14 धूर जमीन से संबंधित थी उसमें से मात्र विपक्षी को 03 बीघा 19	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश 2.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
	कट्ठा 10 धूर जमीन से सरोकार है। इस विपक्षी को प्रश्नगत नामान्तरण कार्यवाही में कोई भी नोटिस नहीं दी गयी जो नियम के विरूद्ध है। इन सभी अवैधता एवं अनियमितता अपनाये जाने के कारण विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोगरी ने अंचल अधिकारी, परबत्ता का तथाकथित नामान्तरण वाद संख्या–15ए/2005–06 में पारित आदेश को निरस्त कर दिया है। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सविस्तार सुना। पक्षकार द्वारा दाखिल कागजातों का भी गहन विश्लेषण किया। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोगरी का दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–03/2013–14 में पारित आदेश का भी अध्ययन किया। विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोगरी द्वारा अपने आदेश में निम्नलिखित तथ्यों को प्रकाश में लाया है:– 01.दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–03/2013–14 के प्रतिवादी नं0–02 पशुपति राय वर्त्तमान में मृत को बार–बार नोटिस देने के बाबजूद भी आपत्ति–पत्र दाखिल नहीं किया। 02.हल्का कर्मचारी स्वंय स्थल जाँचकर प्रतिवेदन नहीं दिया है। 03.बंटवारेनामे में गवाह का हस्ताक्षर नहीं रहने के कारण बंटवारे में हिस्सेदारों की सहमती संदेहात्मक पाया गया। 04.रामानन्द राय का हस्ताक्षर बंटवारानामा एवं वकालतनामा में भिन्न बताया गया है इस कारण बंटवारेनामा में हस्ताक्षर फर्जी होने का संदेह उत्पन्न करता है बताया गया है। 05. आम नोटिस में विपक्षी रामानन्द राय तथा उसके किसी बालिग वारिशान का हस्ताक्षर नहीं है जिससे यह तर्क दिया गया है कि उसके पीठ–पीछे दाखिल खारिज आदेश पारित किया गया है। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी के सहमति के बिना ही बंटवारेनामे के आधार पर अंचल अधिकारी, परबत्ता ने नामान्तरण आदेश पारित कर दिया है जो नियमाकूल प्रतित नहीं होता है। फलस्वरूप भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोगरी द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–03/2013–14 में पारित आदेश वैध प्रतीत होता है। इसलिए इसे बहाल रखा जाता है तथा पुनरीक्षणकर्त्ता का आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाता है। अंचल अधिकारी, परबत्ता को आदेश दिया जाता है कि विपक्षी के नाम पूर्व से कायम जमाबंदी संख्या–129 में पूर्व से दर्ज रकवा 03 बीघा 19 कट्ठा 10 धूर जमीन को पुनःस्थापित कर दें। इसी आदेश के साथ वाद का निस्तार किया जाता है। आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोगरी को उनके न्यायालय के दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–03/2013–14 के अभिलेख के साथ भेज दें। साथ ही आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, परबत्ता को अनुपालनार्थ एवं जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को आदेश की प्रति जिला बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु भेज दें। लेखापित एवं संशोधित 20/6/15 अपर समाहर्त्ता, खगड़िया 20/6/15 अपर समाहर्त्ता, खगड़िया	

अपर जिला दण्डाधिकारी समाहरणालय, खगड़िया